

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

पीओएस मशीन से जमा होंगे निगम के कर गंदगी करने वालों पर भी मशीन से होंगे स्पॉट फाईन निगम कर्मचारियों को मशीन चलाने का दिया प्र षक्षण रतलाम 21 दिसम्बर । संपत्तिकरए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की रा ष अब नगर निगम के कर्मचारी पीओएस मशीन के माध्यम से ई-नगर पा लका पोर्टल पर जमा करेंगे साथ ही गंदगीए अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर भी मशीन के माध्यम से स्पॉट फाईन कया जायेगा।

एचडीएफसी बैंक द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराई गई 10 एन्ड्रॉयड पीओएस मशीन चलाने का प्र षक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में इंदौर के पीओएस मशीन एक्सपर्ट श्री महेन्द्र राजपूत ने निगम के अ धकारी एवं कर्मचारियों को दिया।

प्र षक्षण में बताया गया क मशीन में ई-नगर पा लका पोर्टल साफ्टवेयर लोड कया हुआ हैए मशीन पुरी तरह से एन्ड्रॉयड है इस पर नगर निगम के व भन्न करो की रा ष जमा कर संबं धत को उसी टाईम रसीद उपलब्ध कराये जाने के साथ ही मोबाईल एसएमएस भी कया जा सकता है। करो की रा ष नगदए डेबिटए क्रे डिट कार्ड से भी जमा की जा सकती है।

आयोजित प्र षक्षण के दौरान उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए श्री भ वश्य कुमार खोब्रागडेए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मश्राए राजेष पाटीदारए वकास संह मरकामए मनीश तिवारीए लेखापाल श्री र व रहंगडालेए सटी मैनेजर श्री नितिन तिवारीए श्री कपील मारोठियाए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सहायक राजस्व निरीक्षक श्री बलवंत राठौरए एचडीएफसी बैंक के ब्रांच मैनेजर श्री जितेष चौहान आदि उपस्थित थे।

सबके प्रयासो से ही तरफ शहर का स्वच्छ स्वरूप निखरेगा

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत का लकामाता मंदिर परिसर में आने वाले लोगों ने लया क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प

रतलाम 21 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त कया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मत्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। निगम प्रशासन के इन्ही प्रयासों की कड़ी में शहर के कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली निर्माण का कार्य निरन्तर जारी है। ये कार्य लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और नागरिक कहने लगे है क सभ्य समाज का उत्तरदायित्व है ए क वह कचरा प्रबंधन और निस्तारण के मूलभूत सद्धांतों को जाने ए समझे और उसपर अमल करे। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के इस महा भयान में जाति ए धर्म ए सम्प्रदाय आदि समस्त वभेदों से ऊपर उठ कर प्रत्येक जन

और समाज के हर वर्ग का योगदान होना चाहिए। संत महात्माओं को समाज में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता की अलख जगानी चाहिए राजनीतिक दलों को परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वारा जन जन को इस हेतु प्रशिक्षित करना चाहिए यह शहर सबका है ए यह शहर सबके लिए है इसका स्वच्छ स्वरूप सबके द्वारा ही निखरेगा ।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मंत्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर रहवा सयों और राह गयों को संकल्प दिलाया जा रहा है क मेरा योगदान मेरी शान स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों ए बागीचों ए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवा सयों से अपील की है क वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान रववार को सफाई मंत्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवा सयों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान को वड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया क जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमें मास्क का उपयोग दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

निजी बैंको से पी.एम. स्वनिधी के ऋण दिलाने हेतु बैठक संपन्न

रतलाम 21 दिसम्बर । पी.एम. स्वनिधी योजना के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे हितग्राही जिन्होंने ऋण हेतु आवेदन किया है उन्हें निजी बैंको से ऋण दिलाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निजी बैंको के ब्रांच मैनेजरों के साथ बैठक ली।

पी.एम. स्वनिधी योजना के ऋण निजी बैंक एचडीएफसीए इंडसंड व एक्सिस बैंक से दिलाये जाने हेतु ब्रांच मैनेजरों को अवगत कराया गया क वे ऋण प्रकरणों को पक करे तथा पक करने के ऋण स्वीकृत कर हितग्राही को ऋण वतरण कार्य संपादित करें।

आयोजित बैठक में निजी बैंको के ब्रांच मैनेजर सहित निगम अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

गंदगी व मलबा फैलाने पर 7 व्यक्तियों पर जुर्माना  
गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 21 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कंट्रोल रूम पर 3 पालयों में कर्मचारियों की इ्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलाने पर संजय राहौरी मुखर्जी नगर पर 5000ए प्रमोद कुमार राम मंदिर पर 3000ए नाकोडा टैडर्स सज्जन मल रोड पर 250ए गोपाल कुमावत 80 फीट रोडए जितेन्द्रए हर्ष व वनोद गुर्जर राम मंदिर पर 100.100 रुपये का जुर्माना कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाडे आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

60 दिनों में 93 वॉल्व व 432 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 21 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 21 दिसम्बर तक 93 वॉल्व व 432 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ रतलाम जलशक्ति अभियान ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 21 दिसम्बर सोमवार को रेल नगरए कोमल नगरए हिम्मत वहारए साईं वहारए कल्याण नगरए टीआईटी रोड भूत बंगलाए राजेन्द्र नगर मुख्य मार्ग व

का लका माता बाउडी के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कराये जाने के साथ ही डोंगरे नगर टंकी व संत नगर के वॉल्व को दुरस्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नालो की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 21 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा 21 दिसम्बर सोमवार को मदिना मस्जिदए लक्ष्मणपुरा नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा प्रारंभ करवाया गया।

नगर के व भन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 21 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुवधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा बाल चकत्सालयए जिला चकत्सालयए रैन बसेरा सहित नगर के व भन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण व शौच के लये शौचालय के उपयोग की दी समझाईश रतलाम 21 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा वार्ड क्रमांक 28 दिलीप नगर व नगर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी इसके अलावा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

टीम आस्था के सदस्यो द्वारा नगर के खुले क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को शौच हेतु शौचालय के उपयोग की जानकारी दी साथ ही सुलभ शौचालयों वें डग मशीनए फीड बैक मशीनए इन्सीवेटरए हैण्ड ड्रायर मशीन व सेनेटरी नेपकीन मशीन के उपयोग के बारे में जानकारी दी।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 इस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 21 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा इस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला इस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला इस्टबीन तथा मेडकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

चौमुखी पुल पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

बकाया रा श जमा कर अधभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 47ए38ए854६. संपत्तिकर व 16ए02ए220६. जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया रा श जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 21 दिसम्बर । षासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-19८८ वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गरावटए सर्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिलक्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबंधत करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुप्त जमा कराने पर अधभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया रा ष जमा कराने हेतु वार्ड

वार बकाया वसूली ष वर 26 अक्टूबर से आयोजित कये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस शुल्क एवं वकास षाखा से संबंधत भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया रा ष एक मुष्ट रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 2ए38ए224ए. व जलकर 43ए460ए.ए मालवा नगर ष वर में संपत्तिकर 3ए66ए429ए. व जलकर 43ए830ए.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए69ए336ए. व जलकर 41ए850ए.ए वनोबा नगर पानी की टंकी के पास ष वर में संपत्तिकर 3ए94ए652ए. व जलकर 1ए06ए050ए.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास ष वर में संपत्तिकर 4ए54ए616ए. व जलकर 84ए000ए.ए तिरुपति नगर में ष वर में संपत्तिकर 55ए700ए. व जलकर 14ए800ए.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 65ए133ए. व जलकर 18ए430ए.ए इन्द्रलोक नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए04ए310ए. व जलकर 37ए520ए.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए63ए070ए. व जलकर 41ए200ए.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 54ए244ए. व जलकर 31ए700ए.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए87ए800ए. व जलकर 13ए500ए.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 89ए439ए. व जलकर 29ए500ए.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए23ए843ए. व जलकर 80ए000ए.ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 78ए232ए. व जलकर 24ए800ए.ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 95ए424ए. व जलकर 46ए350ए.ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 2ए61ए000ए. व जलकर 45ए500ए.ए लक्कड़पीठा ष वर में संपत्तिकर 2ए58ए000ए. व जलकर 90ए310ए.ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए39ए000ए. व जलकर 1ए58ए845ए.ए आनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर 94ए633ए. व जलकर 24ए500ए.ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए31ए093ए. व जलकर 68ए580ए.ए महावीर नगर ष वर में जलकर 45ए550ए.ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 5ए91ए492ए. व जलकर 1ए31ए930ए.ए चौगानिया भेरू मंदिर ष वर में संपत्तिकर 1ए71ए109ए. व जलकर 1ए26ए280ए.ए सायर चबुतरा षक्षा वभाग के पास आयोजित ष वर में संपत्तिकर 1ए55ए000ए. व जलकर 1ए24ए290ए.ए चौमुखी पुल ष वर में संपत्तिकर 1ए16ए000ए. व जलकर 1ए36ए445 की एक मुष्ट बकाया रा ष जमा कराकर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ लया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित ष वरों में 47ए38ए854ए. संपत्तिकर व 16ए02ए220ए. जलकर की रा ष जमा कराई।

वाई वार आयोजित कये गये वसूली ष वरों के तहत वाई क्रमांक 43 व 45 के लये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वाई क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वाई क्रमांक 33 व 34 के

लये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वाई क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क षासन द्वारा निगम से संबं धत करों की एक मुप्त रा ष जमा कराने पर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ नागरिक अ धक से अ धक ले सकें इस हेतु वाई वार ष वर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वाई में लगाये जा रहे ष वर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुप्त रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ए. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ए. ;दस हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000ए. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000ए. ;बीस हजार) से 50ए000ए. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अ धभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया रा ष वाईवार आयोजित बकाया ष वर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले 448 मवेश्यों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 21 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 19 दिसम्बर तक 446 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 21 दिसम्बर तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 448 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 21 दिसम्बर सोमवार को 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह झोन प्रभारी श्री करण चौहान श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/21<sup>ण</sup>12<sup>ण</sup>2020धन.पा.निगमए रतलाम.